

झारखण्ड सरकार
वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।



अल्पकालिन निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल के अन्तर्गत अंतिम रूप से अधिहरित (CONFISCATED) वाहनो की जहाँ हैं, जिस स्थिति में है, के आधार पर बिक्री हेतु मुहरबन्द लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक-06.07.2026 को 10.30 बजे पूर्वा० से 1.00 बजे अप० तक प्राप्त की जायगी। निविदा उसी दिन प्रमण्डलीय कार्यालय में निविदा-दाताओं या उनके प्रतिनिधि के समक्ष 2.00 बजे अप० में खोली जायगी। निविदा-दाताओं को प्रत्येक वाहन के लिए 10000/- (दस हजार) रुपये एवं जे०सी०बी० के लिए 25000/- (पच्चीस हजार) रुपये मात्र अग्रधन की राशि अलग-अलग वाहन के लिए अलग-अलग मुहरबन्द लिफाफे में निविदा के साथ बैंक ड्राफ्ट जो भारतीय स्टेट बैंक, गिरिडीह शाखा में भुगतये हो, Divisional Forest Officer, Giridih East Forest Division के पदनाम से जमा करना होगा। निविदा में उच्चतम डाक वाले निविदा-दाताओं को स्वीकृत राशि की 20% जमानत की राशि तत्काल जमा करना होगा। सफल निविदा-दाताओं को नियमानुसार पूरी राशि 18% GST सहित 21 दिनों के अन्दर जमा करना होगा। निविदा के अन्य शर्त कार्यालय, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल के सूचना-पट्ट एवं गिरिडीह जिला के वेबसाईट तथा वन विभागीय वेबसाईट पर देखा जा सकता है।

वाहनों की सूची जिसके लिए निविदा आमंत्रित है :-

क्र०	अधिहरण वाद संख्या	वाहन का प्रकार	वाहन का निबंधन संख्या	वर्तमान में जहाँ वाहन उपलब्ध है
		2	4	5
1	63/23	पीकअप भैन	JH-10CN-5457	तिसरी थाना परिसर
2	63/23	ट्रैक्टर ट्रेलर	Eng.No.0405ZF46339, Chassis No.3092F42E46390, Model No. DI73011/SC2004	तिसरी थाना परिसर
3	64/23	ट्रैक्टर ट्रेलर	Model-DI-35 Eng.No. 3100FL53A470554F3, Chassis No. BZJSU473422SM	गावां वन प्रक्षेत्र कार्यालय परिसर
4	66/23	बोलेरो कैम्पर	JH-10P-5391	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल कार्यालय परिसर
5	65/23	ट्रैक्टर ट्रेलर	Eng.No.61248, Chassis No.45711	गावां वन प्रक्षेत्र कार्यालय परिसर
6	35/24	ट्रैक्टर ट्रेलर	Model- DI35, Eng.No. 3100FL73A606773F3, Chassis No. BZJST611368S3	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल कार्यालय परिसर
7	35/24	मोटर-साइकिल	JH-11D-0908	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल कार्यालय परिसर
8	39/23	ट्रक	CG-04LN-9533	पारसनाथ वन प्रक्षेत्र कार्यालय परिसर

9	04 / 24	ट्रैक्टर ट्रेलर	Eng.No. 26604G, Chassis No. T77010010A10E02, SI.No. G435J24259, Reg.No. JH-11B-0877	खुरचुड्डा वन प्रक्षेत्र कार्यालय परिसर
10	08 / 21	टाटा 407 ट्रक	JH-09A-5122	डुमरी वन प्रक्षेत्र कार्यालय परिसर
11	78 / 22	ट्रैक्टर ट्रेलर	Eng.No. 10026582BB, Chassis No. BZJSW232066/3	पारसनाथ वन प्रक्षेत्र कार्यालय परिसर
12	52 / 22	ट्रैक्टर ट्रेलर	Eng.No. 33-1008/SZM08061, Chassis No. MBNAG48ACJTM60154	गावां वन प्रक्षेत्र कार्यालय परिसर
13	05 / 24	ट्रैक्टर ट्रेलर	Eng.No. 331008/SEG04046, Chassis No. MBNAG48ACNTG77707, Reg. No. JH-11AK-7914	ताराटांड थाना परिसर
14	03 / 25	ट्रैक्टर ट्रेलर	Eng.No. 331008/SAKTK06249, Chassis No. MBNAG48ACKTK65431	खुरचुड्डा वन प्रक्षेत्र कार्यालय परिसर
15	71 / 23	पीकअप भेन	JH-10P-1307	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल कार्यालय परिसर
16	10 / 24	बोलेरो पीकअप	JH-04E-7984	गावां वन प्रक्षेत्र कार्यालय परिसर
17	30 / 23	ट्रैक्टर ट्रेलर	Eng.No. 3100FL738657681F3/SZD01151, Chassis No. EZJST664393S3	गावां वन प्रक्षेत्र कार्यालय परिसर
18	44 / 23	ट्रैक्टर ट्रेलर	Eng.No. 71837290	देवरी बीट कार्यालय परिसर
19	31 / 24	ट्रैक्टर ट्रेलर	Eng.No.3100NS24J1229308F31, Chassis No. KZQ SJ1237785S3	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल कार्यालय परिसर(गिरिडीह वन प्रक्षेत्र कार्यालय परिसर)
20	31 / 24	मोटर-साइकिल	JH-11AR-0644	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल कार्यालय परिसर(गिरिडीह वन प्रक्षेत्र कार्यालय परिसर)
21	70 / 22	पीकअप भेन	BR-53-8260	गावां वन प्रक्षेत्र कार्यालय परिसर
22	15 / 25	ट्रैक्टर ट्रेलर	Eng.No. CJ1354/PG, Chassis No. MBNAK48ACPPG11407	खुरचुड्डा वन प्रक्षेत्र कार्यालय परिसर
23	05 / 14	जे0सी0बी0	JH-12C-3369	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल कार्यालय परिसर


 वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
 गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।

 19/06/26




झारखण्ड सरकार
वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।

अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल अन्तर्गत अन्तिम रूप से अधिहरित (CONFISCATED) वाहनों को जहाँ है तथा जिस स्थिति में है कि आधार पर बिक्री के लिए मुहरबन्द लिफाफे में निविदा द्वारा बिक्री की शर्तें निम्नवत है :-

1. किसी भी वाहन के लिए उच्चतम मूल्य/उच्चतम निविदा की राशि स्वीकार करने के लिए अधोहस्ताक्षरी वाध्य नहीं हैं और उसे बिना कोई कारण बताये बिक्री से उठा लेने या रद्द करने के लिए सक्षम होंगे।
2. अगर सफल निविदा-दाता निर्धारित समय के अन्दर पूरी राशि जमा नहीं कर पाते हैं, तो उनके द्वारा जमा की गई अग्रधन एवं जमानत राशि अथवा अन्य जमा राशि बिना कोई कारण बताये forfeit कर ली जायगी।
3. असफल निविदा-दाताओं को अग्रधन की राशि निविदा पर अन्तिम निर्णय के पश्चात तुरत वापस कर दिया जायगा।
4. सफल निविदा-दाता द्वारा जमा की गई अग्रधन की राशि वाहन के मूल्य में समायोजित कर दी जायगी।
5. इच्छुक निविदा-दाता निविदा देने के पूर्व किसी भी कार्यालय अवधि में वाहन का उनके स्थान पर निरीक्षण कर सकते हैं।
6. निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से कार्यावधि में 100/- (एक सौ) रुपये जमा कर प्राप्त किये जा सकेंगे।
7. निविदा-दाता डाक द्वारा भी निविदा भेज सकते हैं वशर्त कि विहित प्रपत्र में निविदा अग्रधन की राशि सहित पूरी तरह से मुहरबन्द लिफाफे में दिनांक-06.07.2026 को 1.00 बजे अपराहन के पहले कार्यालय में प्राप्त हो जाये।
8. सफल निविदा-दाता के द्वारा प्रस्तावित मूल्य सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरन्त वाहन उनके पक्ष में मुक्त/हस्तांतरित की जायगी।
9. प्रत्येक वाहन में जिनके द्वारा निविदा डाला जायगा केवल उन्हीं लोगों के बीच Negotiation के माध्यम से उच्चतम मूल्य प्रस्तावित करने वाले के पक्ष में बिक्री की अनुशंसा की जायगी।
10. Negotiation में वही व्यक्ति भाग ले सकते हैं जिन्होंने संबंधित वाहन के लिये निविदा डाला है।
11. बिक्री की जाने वाली वाहनों की सूची में उल्लेखित अधिहरित (Confiscated) वाहन पर किसी भी व्यक्ति को यह आपत्ति हो कि सुनवाई किसी न्यायालय में विचाराधीन है, तो वे सूचना प्रकाशन के दो दिनों के अन्दर अपना यह दावा स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से प्रमाण पत्र/शपथ पत्र के साथ कार्यालय अवधि में प्रस्तुत करेंगे।
12. यदि सूचना प्रकाशन के उपरान्त उक्त निर्धारित तिथि तक अधिहरित (Confiscated) वाहनों पर कोई दावा इस कार्यालय में प्राप्त नहीं होगा तो यह समझा जायगा कि किन्ही को अधिहरित (Confiscated) वाहन की निविदा द्वारा बिक्री करने पर कोई आपत्ति नहीं है।
13. निविदा द्वारा बिक्री किये जाने के पश्चात किसी भी वाहन पर प्रस्तुत दावा मान्य अथवा स्वीकार्य नहीं होगा।
14. इस बिक्री से संबंधित कोई भी न्यायिक मामला झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में ही किया जा सकेगा।


वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।